डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 333/2010
आसमीना पत्नि मरदान जाति मेव निवासी ग्राम लावना तहसील पहाडी

वादनी

बनाम

1. आमीना (पूर्व पत्नि) तलाकशुदा मरदान पुत्री मालिंहा जाति मेव निवासी ग्राम हाल ऊभाका जोहपुर तहसील पहाडी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील प्रतिवादी संख्या 3 उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादनी डिक्री किया जाकर वादनी को आराजी खसरा नं0 355/0.17, 381/0.46, 389/1.09, बांके ग्राम लावना तहसील पहाडी के 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर . ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X .....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.12. सन् 2020 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत .....
ओहदा .....
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 333/2010

आसमीना पत्नि मरदान जाति मेव निवासी ग्राम लावना तहसील पहाडी

वादनी

बनाम

1. आमीना (पूर्व पत्नि) तलाकशुदा मरदान पुत्री मालिंहा जाति मेव निवासी ग्राम हाल ऊभाका जोहपुर तहसील पहाडी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादनी
श्री मौहम्मद खां वकील प्रतिवादी संख्या 1

दिनांक :– 31.12.2020

निर्णय

वादनी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 355/0.17, 381/0.46, 389/1.09, बांके ग्राम लावना तहसील पहाडी में स्थित हैं। आराजी मुतदाविया पहले वादनी के पति यानि मरदान की पैत्रिक आराजी थी। मरदान ने अपने दो निकाह किये । जिसकी दो पत्नियां आमीना व आसमीना हुई। आमीना को मरदान ने सन् 1991 में मुताबिक मुस्लिम रीति रिवाज के तलाक दे दिया तथा तलाक नामा विरादरी पंचो में लिखा गया था तब से मरदान के आमीना से कोई सम्बन्ध नहीं रहे । दोनो पत्नियों से दो पुत्र हुये आमीना के चकमलव आसमीना के शेरमौहम्मद के नाम कर दिया था। इस तरह यह आराजी मरदान के दोनो पुत्र चकमल, शेरमौहम्मद के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गई और मरदान के दोनो पुत्र वाहिस्सा बराबर दर्ज होती रही । मरदान की वादनी पत्नि है तथा वादनी के मरदान के नुत्फे से निम्न सन्ताने पैदा हुई।

1. शेर मौहम्मद — सबसे बडा पुत्र
2. अन्जूम — पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3. सबीला पुत्री
4. आयसा पुत्री
5. सद्दाम पुत्र
6. सकील पुत्र
7. हासिम पुत्र
8. बिलाल पुत्र

तथा पूर्व पत्नि आमीना के नुत्फे से दो सन्ताने हुई। जिनमें से एक पुत्री संजीदा जिसकी शादी मरदान ने पूर्व में ही कर दी थी तथा पुत्र चकमल है। वादनी के बडे पुत्र शेरमौहम्मद की मृत्यु हो चुकी है। जो कि अविवाहित था शेरमौहम्मद की मृत्यु के बाद उसकी आराजी पर वादनी व उसका पति मुताबिक हिस्सा काश्त करते चले आ रहे है। शेरमौहम्मद की मृत्यु का दाखिल खारिज नम्बर 373 विरासतन ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला द्वारा गलत तरीके से माता पिता के नाम ना खोलकर भाई के नाम विरासत का दाखिल खारिज खोल दिया । जिसकी अपील वादनी के पति ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां में की और अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला का आदेश निरस्त किया जाकर मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ मृत्तक शेरमौहम्मद की आराजी उसके माता पिता के नाम खोलने के आदेश दिये । आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, कामां की पालना में विरासत का दाखिल खारिज शेरमौहम्मद की माँ मुझ वादनी आसमीना व पिता मरदान के नाम खोला जाना था। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 आमीना जो की मरदान की पूर्व पत्नि है तथा शेरमौहम्मद की माँ भी नहीं है ने साज प्रतिवादी संख्या 2 से मिलकर अपने नाम दाखिल खारिज विरासत करा ली । जबकि आमीना का शेरमौहम्मद से किसी प्रकार का कोई लेना–देना नहीं है और ना ही वह शेरमौहम्मद की माँ है। जब वादनी को इस बाबत पता चला तो श्रीमान उपजिला कलक्टर कामां के यहाँ प्रार्थना पत्र बाबत शुद्ध किये जाने बाबत नाम दिया। जिस पर विधि अनुसार 136 की कार्यवाही हुई। जिसके तहत आमीना की जगह आसमीना नाम शुद्ध किये जाने के आदेश 29.03.2001 को प्रतिवादी संख्या 2 को दिये । किन्तु आज तक भी प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त नहीं किया गया। वादनी प्रतिवादी संख्या 2 के पास कई बार गई और उपखण्ड अधिकारी कामां के आदेश के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई संशोधन नहीं किया और अन्त में दिनांक 26.03.2002 को इन्कार कर दिया। इस कारण वादनी विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदयान्ती आ गई है और इस गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल करना चाहती है। जिसकी बाबत

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 26.03.2002 को ग्राम में आकर धमकी दी है। कि मेरी प्रतिवादी संख्या 2 से बात हो गई है मैं राजस्व रिकॉर्ड गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी मुतदाविया को रहनवय मुन्तकिल करके रहूँगी तथा आराजी मुत0 पर वादनी को काश्त नहीं करने दूँगी। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल न करे । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

दावा वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय में मय वकील उपस्थित आई। दिनांक 17.05.2002 को जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतदाविया चकमल व उसके भाई शेरमौहम्मद ने वाहिस्सा बराबर खरीद की थी और शेर मौहम्मद के मरने के बाद उसका भाई चकमल विवादित आराजी पर काबिज है। शेरमौहम्मद आमीना प्रतिवादी का लडका था वादनी का नहीं था । इसलिये वादनी का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है और ना ही कब्जा है। यदि वादनी का कोई कब्जा व हक होता तो मरदान बनाम चकमल के मुकदमें में अपने अधिकारो को मांगती। वादनी जब मरदान वाले मुकदमें में सफल नहीं हुई तब उसने यह दावा झूठे तथ्यों के साथ पेश कर दिया है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादनी खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई । तनकी संख्या 1 :– आया मृत्तक शेरमौहम्मद वादनी का पुत्र था और शेरमौहम्मद के मरने के बाद वादनी उसके वारिसान वाहैसित खातेदार काश्तकार काबिज है और अपने आपको 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने की अधिकारणी है।

.....वादनी

तनकी संख्या 2 :– आया वादनी हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री पाने की अधिकारणी है।

.....वादनी

3:– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादनी में नियत की गई। साक्ष्य वादनी में पी0डब्लू0 1 आसमीना, पी0डब्लू0 2 मरदान, पी0डब्लू0 3 गरीबा, पी0डब्लू0 4 जहीर, पी0डब्लू05 सिमरत, पी0डब्लू0 6 जाकिर, पी0डब्लू0 7 हकमुद्दीन के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य वादनी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू0 1

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

आमीना,डी0डब्लू0 2 मालीया, के शपथ पत्र पेश किये अन्य कोई साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादनी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058, नकल फोटो प्रति तलाक नामा , राशन कार्ड, पासपोर्ट, नकल आदेश फोटो प्रति न्यायालय एस0डी0एम0 कामां दिनांक 29.03.2001 , नकल दाखिल खारिज संख्या 373, नकल दावा सद्दाम बनाम मरदान , नकल प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत लावना, पेश किये ।

बहस वकील फरीकेन की बहस सुनी । वकील वादनी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को एवं वकील प्रतिवादी ने अपने जबाव में दर्ज तथ्यो को ही पुनः दोहराया है ।

हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1:– आया मृत्तक शेरमौहम्मद वादनी का पुत्र था और शेरमौहम्मद के मरने के बाद वादनी उसके वारिसान वाहैसित खातेदार काश्तकार काबिज है और अपने आपको 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने की अधिकारणी है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादनी पर था। विवादित आराजी खसरा नम्बर 355/0.17, 381/0.46, 389/1.09, बांके ग्राम लावना तहसील पहाडी मृत्तक शेरमौहम्मद की मृत्यु से पूर्व शेरमौहम्मद एवं चकमल की खातेदारी में थी। शेरमौहम्मद की मृत्यु का दाखिल खारिज नम्बर 373 विरासतन ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला द्वारा गलत तरीके से माता पिता के नाम ना खोलकर भाई के नाम विरासत का दाखिल खारिज खोल दिया था। जो कि नकल दाखिल खारिज संख्या 373 से प्रमाणित है। जिसकी अपील वादनी के पति ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां में की और अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला का आदेश निरस्त किया जाकर मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ मृत्तक शेरमौहम्मद की आराजी उसके माता पिता के नाम खोलने के आदेश दिये । परन्तु नामान्तरण में मरदान पुत्र सरदारा 2/3 हिस्सा एवं आमीना पत्नि मरदान 1/3 हिस्सा के इन्द्राज किये गयें। यहॉ पर वादनी के बजाय आमीना पत्नि मरदान 1/3 हिस्सा के इन्द्राज किये गयें। इस अशुद्वि हेतु वादनी के पक्ष में विधि अनुसार 136 की कार्यवाही हुई। जिसके तहत आमीना की जगह आसमीना नाम शुद्ध किये जाने के आदेश 29.03.2001 को प्रतिवादी संख्या 2 को दिये गये।

यहां पर शेरमौहम्मद वादनी का पुत्र है अथवा नहीं यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। वादनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पी0डब्लू0 1 आसमीना, पी0डब्लू0 2 मरदान, पी0डब्लू0 3 गरीबा, पी0डब्लू0 4 जहीर, पी0डब्लू05 सिमरत, पी0डब्लू0 6

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जाकिर, पी0डब्लू0 7 हकमुद्दीन के शपथ पत्र में स्पष्टता से शेरमौहम्मद को वादनी का पुत्र बताया गया है। इनमें से कई गवाह स्वतंत्र व्यक्ति है। प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई भी स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया है। वादनी द्वारा दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राशन कार्ड, पासपोर्ट, नकल आदेश फोटो प्रति न्यायालय एस0डी0एम0 कामां दिनांक 29.03.2001, नकल प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत लावना से शेरमौहम्मद का वादनी का पुत्र होना बखूबी प्रमाणित है। यहां पर राशन कार्ड एवं पासपोर्ट जैसे दस्तावेज काफी पुराने है। जिन पर कोई संदेह प्रकट नहीं किया गया है। अतः शेरमौहम्मद के मरने के बाद वादनी उसके वारिसान वाहैसित खातेदार काश्तकार काबिज है और अपने आपको 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने की पूर्ण अधिकारणी है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2:–</u> आया वादनी हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री पाने की अधिकारणी है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादनी पर था। चूकि तनकी संख्या 1 वादनी के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादनी हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री पाने की अधिकारणी है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादनी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादनी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादनी डिक्री किया जाकर वादनी को आराजी खसरा नं0 355/0.17, 381/0.46, 389/1.09, बांके ग्राम लावना तहसील पहाडी के 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner